

न्यायालय माननीय राजस्व भण्डल मध्य प्रदेश ग्...

प्रकरण क्रमांक 110

2016 निगरानी

सिग-3098-216

श्री. रमेश श्रीवास्तव, श्री. 110
द्वारा आज दि. 8.9.16 को
प्रस्तुत
श्री. रमेश श्रीवास्तव
निगरानी मंडल, मध्य प्रदेश

अजय सिंह पुत्र कमलेश सिंह रघुवंशी आयु 30
साल व्यक्त्याय - कृषि निवासी - ग्राम नौछाई
तहसील बासोदा, जिला विदिशा ॥ म०प्र०॥
-- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- श्रीमती रामा बाई पत्नी रघुबीर सिंह
- 2- श्रीकांत उर्फ अशोक पुत्र नामालूम आयु 24 वर्ष,
- 3- कमलेश सिंह व्यस्क पुत्र अमान सिंह
- 4- शंभू सिंह पुत्र अमान सिंह व्यस्क
- 5- हनुमंत सिंह पुत्र अमान सिंह,
- 6- राजाराम पुत्र भगवान सिंह
- 7- कपिल कुमार पुत्र नका सिंह
- 8- भुतल कुमार पुत्र नका सिंह
- 9- अमर सिंह व्यस्क
- 10- निरजन सिंह व्यस्क
- 11- नरेन्द्र सिंह पुत्र गण छुमान सिंह
- 12- कल्याण बाई पुत्री छुमान सिंह स्मस्त
निवासी गण ग्राम नौछाई तहसील बासोदा.
जिला विदिशा । -- रस्पोडे न्याय

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू - राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध आदेश दिनांक 29.8.2016 पारित न्यायालय तहसीलदा

बासोदा प्र.क्र.27/म-6/14-15 रकम 0 रमाबाई बनाम कमलेश सिंह


3
R.B.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3098-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से, यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	